निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ 1937 (श0)
(सं0 पटना 106) पटना, मंगलवार, 2 फरवरी 2016

वणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं
2 फरवरी 2016

एस०ओ० 28, दिनांक 2 फरवरी 2016––बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा 17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

संशोधन

1. उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

अनुसूची
(देखें धारा 4)

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और नियोजन कर अधिनियम के अधीन कर की दरों की अनुसूची।

क्रमांक	कर निर्धारिती का वर्ग	संदेय कर की राशि
1	व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक नहीं हो	**शून्य**
	व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक हो, परन्तु प्रति वर्ष पॉच लाख रूपये से अधिक नहीं हो।	रूपये एक हजार प्रति वर्ष।
	व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय पॉच लाख रूपये से अधिक हो, परन्तु प्रति वर्ष दस लाख रूप से अधिक नहीं हो।	रूपये दो हजार प्रति वर्ष।
	व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय दस लाख रूपये से अधिक हो।	रूपये दो हजार पॉच सौ प्रति वर्ष

क्रमांक	कर निर्धारिती का वर्ग	संदेय कर की राशि
2	बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) के अधीन निबंधित व्यवसाई या केवल केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन निबंधित व्यवसाई जिनकी वार्षिक खरीद या बिक्री का सकल आवर्त–	
	(i) प्रतिवर्ष रूपये दस लाख से अधिक नहीं हो	**शून्य**
	(ii) प्रतिवर्ष रूपये दस लाख से अधिक हो, परन्तु प्रति वर्ष रूपये बीस लाख से अधिक नहीं हो।	रूपये एक हजार प्रति वर्ष।
	(iii) प्रतिवर्ष रूपये बीस लाख रूपये से अधिक हो, परन्तु प्रति वर्ष रूपये चालीस लाख से अधिक नहीं हो।	रूपये दो हजार प्रति वर्ष।
	(iv) प्रतिवर्ष रूपये चालीस लाख से अधिक हो।	रूपये दो हजार पॉच सौ प्रति वर्ष
3	मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन वाहनों के परिवहन हेतु निर्गत अनुज्ञापत्र धारक, जिसका उपयोग किराया या प्रतिफल के लिए किया जा रहा हो, जहॉ कोई ऐसा व्यक्ति इनके लिए अनुज्ञापत्र एवं अनुज्ञापत्रों का धारण करता है–	
	(क) किसी भी प्रकार के पैसन्जर टैक्सी कार, ऐसे प्रत्येक वाहन के लिए	रूपये एक हजार प्रति वर्ष।
	(ख) ट्रक एवं बस, ऐसे प्रत्येक वाहन के लिए	रूपये एक हजार पॉच सौ प्रति वर्ष
	परन्तु इस प्रविष्टि के अधीन किसी धारक द्वारा भुगतान किया गया वार्षिक कर रूपये दो हजार पॉच सौ से अधिक नहीं होगा।	
4	(क) केबुल ऑपरेटर, फिल्म वितरक (ख) सिनेमा हॉल, थियेटर के संचालक/मालिक (ग) उत्सव हॉल, सभा कक्ष, वाणिज्यिक हॉल एवं आवासीय होटल के संचालक/मालिक (घ) हेल्थ सेन्टर के संचालक/मालिक (ड.) कोचिंग क्लास के संचालक/मालिक (च) पेट्रोल/डिजल/ऑयल पम्पों एवं सर्विस स्टेशनों के मालिक या लीज धारक (छ) अनुज्ञप्ति प्राप्त विदेशी शराब विक्रेता (ज) ईट भट्ठों के संचालक/मालिक (झ) बैकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (1949 का 10) के अधीन यथा परिभाषित बैकिंग कम्पनियाँ (ञ) कम्पनी एक्ट, 1956 (1956 का 1) के अधीन निबंधित कम्पनियाँ जो किसी पेशा, व्यापार, और नियोजन में संलग्न हों	रूपये दो हजार पॉच सौ प्रति वर्ष

टिप्पणी–1–अनुसूची में किसी बात को होते हुए भी, जहाँ कोई व्यक्ति अनुसूची के एक से अधिक प्रविष्टियों से आच्छादित हो तो ऐसे मामले में उन प्रविष्टियों में से किसी के अधीन विनिर्दिष्ट कर की उच्चतम दर लागू होगी।

टिप्पणी–2–अनुसूची की प्रविष्टि 2 के प्रयोजनार्थ, पेशा कर की गणना विगत वर्ष के खरीद या बिक्री के सकल आवर्त के आधार पर की जायेगी। '' खरीद या बिक्री के सकल आवर्त '' अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) के अधीन क्रमशः उनके प्रति समनुदेशित किए गए हों।

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री–कर/ संशोधन–10/2015–**453**)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

2 फरवरी 2016

एस०ओ० 29, एस०ओ० 28, दिनांक 2 फरवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री–कर/ संशोधन–10/2015–454)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 2nd February 2016

S.O. 28 dated the 2nd February 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 of The Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the schedule appended to the said Act:

Amendments

1. The present schedule appended to said Act shall be substituted by the following-

SCHEDULE

(See Section 4)

Schedule of rates under The Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011

S.N.	Class of Tax Assesses	Amount of Tax payable
1	(a) Persons, whose income do not exceed three lac rupees per annum.	Nil
	(b) Persons, whose income exceeds three lac rupees per annum but does not exceed five lac rupees per annum.	One thousand rupees per annum.
	(c) Persons, whose income exceeds five lac rupees per annum but does not exceed ten lac rupees per annum.	Two thousand rupees per annum
	(d) Persons, whose income exceeds ten lac rupees per annum.	Two thousand and five hundred rupees per annum
2	Dealers registered under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) or Dealers registered only under the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), whose annual turnover of Sales or purchases,-	
	(i) do not exceed ten lac rupees per annum.	Nil
	(ii) exceeds ten lac rupees per annum but does not exceed twenty lac rupees per annum.	One thousand rupees per annum.
	(iii) exceeds twenty lac rupees per annum but does not exceed forty lac rupees per annum.	Two thousand rupees per annum
	(iv) exceeds forty lac rupees per annum.	Two thousand and five hundred rupees per annum
3	Holders of Permits for Transport Vehicles issued under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), which are used or adopted to be used for hire or reward,	

S.N.	Class of Tax Assesses	Amount of Tax payable
	where any such person holds permit or permits for,-	
	(a) any taxi passenger car, for each such vehicle;	One thousand rupees per annum.
	(b) Trucks or buses for each such vehicle;	One thousand and five hundred rupees per annum
	Provided that the total tax payable by a holder under this entry shall not exceed rupees 2,500 per annum.	
4	(a) Cable operators, Film distributors (b) Persons owning/running Cinema hall, Theatres (c) Persons owning/running marriage halls, conference halls, commercial halls and residential hotels (d) Persons owning/running health centers (e) Persons running /conducting coaching classes (f) Owners or lessees of Petrol/Diesels/Oil Pumps and Service Stations. (g) Licensed Foreign Liquor Vendors (h) Persons owning/running Brick klin (i) Banking Companies, as defined under the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) (j) Companies registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and engaged in any profession, trade or calling.	Two thousand and five hundred rupees per annum

Note 1- Notwithstanding anything contained in this Schedule, where a person is covered by more than one entry of this Schedule, the highest rate of tax specified under any of those entries shall be applicable in such case.

Note 2- For the purpose of Entry 2 of the Schedule, the Profession Tax shall be calculated on the basis of the "turnover of sales or purchases" of the previous year. The expressions "turnover of sales or purchases" shall have the same meaning as assigned to them, respectively, under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issuance.

[(F.No. Bikri-kar/Sansodhan-10/2015-**453**)]

By order of the Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 106-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in